राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय,जयपुर।

क्रमाक प.2(8)(1)(डी–परिपत्र)आ.कृ./जांच/ दिनांक–

परिपत्र

प्रायः देखने मे आया हैं कि विभागीय अधिकारियो/कर्मचारियो के विरुद्व अनुशासनिक कार्यवाही जांच, निलम्बन, शिकायत आदि के प्रकरणो मे कार्मिक/प्रशासनिक विभाग/ कृषि आयुक्तालय से प्राप्त आरोप पत्र, अभिकथन विवरण पत्र, ज्ञापन, जांच रिपोर्ट, जांच अधिकारी नियुक्ति आदेश इत्यादि संबधित कार्मिक को उनके नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से हस्तगत कराने हेतु भिजवाकर प्राप्ति रसीद भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। संबधित नियंत्रण अधिकारी कार्मिको/लोक सवको को तत्संबधी रिपोर्ट/आदेश हस्तगत कराकर उसकी छाया प्रति पर ही प्राप्ति रसीद भिजवा दी जाती है जो उचित नहीं है, एवं कार्मिक (क–3/जांच) विभाग द्वारा भी स्वीकार नहीं की जाती है।

अतः विभाग के समस्त नियंत्रण अधिकारियों/कार्यालय अध्यक्षो को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे लोक सेवको को हस्तगत कराने हेतु भिजवाये जाने वाले पत्रो/आदेशो की उचित प्राप्ति रसीद (**PROPER RECEIVED**) भिजवावे। अन्यथा रुप से भिजवाई जाने वाली रसीद को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

— ह० —

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमाक प.2(8)(1)(डी–परिपत्र)आ.कृ./जांच/1476-1592 दिनांक– 24/08/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य बीज निगम लि. जयपुर।
4. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर।
5. निदेशक, समेति, आत्मा दुर्गापुरा, जयपुर।
6. निदेशक, राज. राज्य बीज एंव जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर।
7. समस्त योजना प्रभारी मुख्यालय।
8. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि......................../परियोजना निदेशक सी.ए.डी.कोटा।
9. समस्त उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद..........................।
10. समस्त उप निदेशक कृषि एंव परियोजना निदेशक (आत्मा)।
11. संस्थापन शाखा प्रभारी (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ कराने हेतु।
13. आरक्षी पत्रावली।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)